



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Civil First Appeal No. 1090/2024

Sitaram S/o Noranglal

-----Appellant

Versus

Patasi Devi W/o Late Noranglal (Deceased)

-----Respondent

For Appellant(s) : Mr. Amit Jindal, Adv.

For Respondent(s) : Ms. Meeta Pareek, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

22/10/2024

प्रत्यर्थी संख्या-4 की ओर से अधिवक्ता सुश्री मीता पारीक द्वारा उपस्थिति दी गयी।

अधिवक्ता अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अपील व ज्ञापन की प्रति अधिवक्ता प्रत्यर्थी को उपलब्ध करावें।

पी.एफ. व नोटिस व डाक खर्चा पेश होने पर शेष सभी प्रत्यर्थीगण को सामान्य प्रक्रिया के साथ-साथ रजिस्टर्ड डाक से अपील तथा स्थगन प्रार्थना पत्र के नोटिस जारी किये जावें।

अन्तरिम स्थगन पर सुना गया।

प्रत्यर्थीक क्रम-4 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अंडरटेकिंग दी गयी कि न्यायालय की अनुमति के बिना वादग्रस्त सम्पत्ति को विक्रय, अन्तरित अथवा भारित नहीं करेंगे, अतः उपरोक्त

अंडरटेकिंग के पश्चात पृथक से कोई अन्तरिम आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रकरण दस सप्ताह पश्चात पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Mittal/58